0/0- 101

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

Employees Provident Fund Organisation

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

(MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA)

मुख्य कार्यालय/Head Office

प्लेट ए, ग्राउंडफ्लोर, ब्लॉक-II, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली-110023

Plate A, Ground Floor, Block II, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023

Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in

सत्यमेव जयते

सं.: डब्ल्यू.एस.यू./मृत्यु दावे/ई-1115891/2025-26/25 दिनांक: 13.08.2025

सेवा में,

सभी अ.के.आ.(मुख्यालय),अंचल

सभी अ.के.आ.,अंचल

सभी क्षे.भ.नि.आ., क्षे.का. के प्रभारी

विषय: मृत्यु दावों का सरलीकरण, नाबालिग बच्चों के बैंक खातों में भुगतान हेतु संरक्षकता प्रमाणपत्र की आवश्यकता न होने के संबंध में ।

महोदया/महोदय,

ऐसा संज्ञान में आया है कि कई कार्यालय ऐसे मामलों में संरक्षकता प्रमाणपत्र की मांग रहे हैं जहाँ किसी मृतक सदस्य के संबंध में भुगतान उसके जीवित नाबालिग बच्चों को किया जाना है।

इस संबंध में, प्रक्रिया को सरल बनाने और नाबालिग बच्चों को शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, यह निदेश दिया जाता है कि यदि भुगतान नाबालिग बच्चों के बैंक खातों में जमा किया जा रहा है, तो अलग से संरक्षकता प्रमाणपत्र पर जोर न दिया जाए।

तदनुसार, दावेदारों का उचित मार्गदर्शन किया जाए कि वे अपने नाबालिग बच्चों के नाम पर व्यक्तिगत बैंक खाते खोलें ताकि निपटान राशि सहित उन्हें मिलने वाली पेंशन जमा की जा सके।

[के.भ.नि.आ. के अनुमोदन से जारी]

(जीआर सुचिन्द्रनाथ)

अ.के.आ. (डब्ल्यूएसयू)